प्रस्तावना

31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों हेतु यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अनुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संबंधित विभागों सहित राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान तथा पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आए परन्तु विगत प्रतिवेदनों में स्थान न पा सके प्रकरणों को भी यथावश्यक रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।